न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वर्ष 2021

(पंचायत) निगरानी संख्या 45 / 21

जीसीएम संख्या :–2021 / 247

बउनवानी:–1. हरकचन्द पुत्र बिरधीचन्द जैन,पेशा डीड राईटर निवासी,चौथ का बरवाडा

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सचिव,ग्राम पंचायत, चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच,ग्राम पंचायत, चौथ का बरवाडा
3. नेमीचन्द पुत्र श्री बिरधी चन्द जाति जैन, पेशा व्यवसाय निवासी चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 62 दिनांक 6.3.2019 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा, पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय — वकील प्रार्थी

2. सुधीर कुमार जैन — वकील अप्रार्थी–1,2

3. संदीप शर्मा — वकील अप्रार्थी,3

–: निर्णय :– दिनांक 20.7.2022

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के द्वारा जारी पटटा संख्या 62 निर्णय दिनांक 6.3.2019 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 सगे भाई है तथा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा विवादित भूखण्ड का पटटा पूर्व में दिनांक 7.2.2003 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 के नाम 36x60 वर्ग फीट में जारी हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 के अतिरिक्त दिनेशचन्द भी प्रार्थी व अप्रार्थी का सगा भाई है। प्रार्थी ,अप्रार्थी एवं दिनेश चन्द के मध्य सम्पति का दिनांक 7.11.2002 को लिखित बटवारा हुआ है बटवारानामा दिनांक 7.11.2002 के पृष्ठ संख्या 3 के कॉलम संख्या 3 में अप्रार्थी नेमीचन्द के हिस्से में आयी सम्पति का विवरण इस प्रकार है कि "बिची आवास के पीछे नोहरा दिया गया है जो मकान के पीछे व गोविन्दराम ,मूलचन्द अग्रवाल तक है यह पूरा नोहरा नेमीचन्द को दिया है। इसमे से तीन फीट जमीन मकान के पीछे गली हेतु छोडकर मकान निर्माण करेगा इसे तीनो भाई मिलकर बराबर बराबर खर्चे से पक्की करवायेगे। पीछे [illegible] एक मंजिल तक तीनों भाई मिलकर तैयार करायेगे। अप्रार्थी नेमीचन्द द्वारा [illegible] 5.5.2009 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने हि[illegible] पुख्ता का पटटा स्वंय के नाम से ग्राम पंचायत मे बन[illegible] जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक [illegible]010, 10.12.2018, 7.[illegible] को प्रस्तुत की गयी है तथा सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर मे चल रहे दिवानी वा[illegible] पक्षकारान के मध्य हुए लिखित बटवारा दिनांक 7.11.2002 की प्रति तथा पूर्व मे ग्राम पंचायत जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:29:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पटटा दायरा दिनांक 5.5.1987 निर्णय दिनांक 7.2.2003 की प्रतियॉ प्रस्तुत की गयी है। मौका रिपोर्ट दिनांक 20.8.2010, 2.3.2013 एवं 2.3.2019 भी प्रार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। यह तर्क भी दिया कि आलोच्य आदेश पारित करते समय ग्राम पंचायत को इस तथ्य की भंलिभांति जानकारी थी कि पक्षकारान के मध्य इस सम्पति को लेकर सिविल न्यायालय मे वाद जैरकार है किन्तु ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा यह अंकित करते हुए कि सिविल न्यायालय से विवाद का निर्णय नेमीचन्द के पक्ष मे हो गया है जबकि अभी तक वाद जैरकार है जिसकी आगामी तारीख पेशी 9.9.2021 नियत थी। इस प्रकार विवादित पटटा सिविल न्यायालय मे वाद जैरकार रहते हुए जारी किया गया है जो नियम विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा पत्र कमांक 39 दिनांक 30.8.2020 बाबत अपना पक्ष रखने हेतु प्राप्त हुआ होने पर प्रार्थी द्वारा उसी दिन अपने समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी की आपत्ति का कोई जवाब नही दिया इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को अनुचित लाभ पहॅुचाने की गरज से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 7.3.2019 को रिकार्ड पर लेते हुए भी पिछली दिनांक 6.3.2019 मे निर्णय पारित करना बताते हुए आलोच्य पटटा दिनांक 2.8.2019 को विधि विरूद्व तरीके से जारी किया है इसलिए निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधि विरूद्व जारी पटटे को खारिज करवाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। क्योकि मुझ अप्रार्थी नेमीचन्द द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के समक्ष दिनांक 5.5.2009 को अपने हिस्से मे आये पटटे शुद्वा मकान नोहरा पुख्ता को पटटा स्वंय के नाम से बनवाने बाबत ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड पंच श्री पूरण जैन, भोजराज तिलोट, बिरधी देवी को नये सिरे से मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया जाने पर वार्ड पंचो द्वारा दिनांक 6.9.2010 को ग्राम पंचायत के समक्ष मौका रिपोर्ट पेश की गयी तथा प्रार्थी हरकचन्द द्वारा दिनांक 3.9.2010 को ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवायी गयी। पत्रावली मे दिनांक 5.12.2018 को वार्ड पंच अजीम कुरेशी, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री प्रेम शंकर चन्देल व श्री ओम प्रकाश जैन को पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया गया। दिनांक 2.3.2019 को पत्रावली संख्या 843 दायर दिनांक 5.5.2009 हल्का चपरासी के साथ मौका देखा गया। प्रार्थी श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री बिरधीचन्द जैन द्वारा बटवारानामा के अनुसार प्रार्थी के हिस्से मे जो मकान आया है उसका पटटा चाहने बाबत पेश किया जिसपर हरकचन्द द्वारा आपत्ति पेश की गयी कि उक्त भूमि उसके हिस्से मे आयी है जिसपर प्रार्थी हरकचन्द ही काबिज है उक्त भूखण्ड को लेकर सिविल न्यायालय मे वाद जैरकार है न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय करते हुए उक्त भूमि पर निर्माण कार्य जारी रखने का निर्णय दिया है। इस प्रकार अप्रार्थी नेमीचन्द द्वारा दिनांक 5.5.2009 को ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के समक्ष पटटा परिवर्तन बाबत तीन प्रतियो में नक्शा पेश कर पटटा जारी करने का आवेदन किये जाने पर विधिवत 1 माह का आपत्ति नोटिस संख्या 202 दिनांक 7.7.2009 जारी किया गया एवं एक माह की अवधि मे एक आपत्ति प्रार्थी श्री हरकचन्द जैन की प्राप्त होने पर वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है मुताबिक मौका रिपोर्ट मौके पर 36x60 कुल 2160 वर्ग फीट पर पुख्ता मकान बना हुआ है जिसपर नेमीचन्द परिवार सहित निवास कर रहा है तथा सिविल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:29:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय का वाद भी नेमीचन्द के पक्ष मे निर्णित हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी नेमीचन्द को पटटा जारी करने से पूर्व समस्त विधिक कार्यवाही सम्पन्न की गयी है तथा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया गया है एवं निगरानीकर्ता को भी सुनवायी का अवसर दिया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा अप्रार्थी नेमीचन्द के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 62 दिनांक 2.8.2019 मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा अप्रार्थी नेमीचन्द के पक्ष मे पूर्व पटटा संख्या 73 दिनांक 3.3.2003 जो कि हरकचन्द एवं नेमीचन्द दोनो भाईयो के नाम था के स्थान पर मुताबिक बटवारा नामा दिनांक 7.11.2002 के नेमीचन्द के नाम से नवीन पटटा चाहने बाबत नेमीचन्द द्वारा दिनांक 5.5.2009 को ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के समक्ष पटटा परिवर्तन बाबत तीन प्रतियो में नक्शा पेश कर पटटा चाहने हेतु आवेदन किये जाने पर विधिवत 1 माह का आपत्ति नोटिस संख्या 202 दिनांक 7.7.2009 जारी किया गया एवं एक माह की अवधि मे प्रार्थी श्री हरकचन्द जैन की आपत्ति प्राप्त होने पर वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण करवाया गया है मुताबिक मौका रिपोर्ट मौके पर 36x60 कुल 2160 वर्ग फीट पर पुख्ता मकान बना हुआ है जिसपर नेमीचन्द परिवार सहित निवास कर रहा है तथा सिविल न्यायालय का वाद भी नेमीचन्द के पक्ष मे निर्णित हुआ है। प्रार्थी का यह कथन उचित नही है कि उसकी आपत्ति दिनांक 7.3.2019 को रिकार्ड पर लेते हुए दिनांक 6.3.2019 को निर्णय पारित किया गया है क्योकि उक्त संबंध मे प्रार्थी हरक चन्द द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पूर्व मे प्रस्तुत आपत्तियों को रिकार्ड पर लेते हुए उनका निस्तारण करते हुए दिनांक 6.3.2019 को निर्णय पारित किया है। चूंकि प्रकरण का निर्णय दिनांक 6.3.2019 को किया जा चुका है इसलिए आपत्ति दिनांक 7.3.2019 को रिकार्ड पर लिया जाना सम्भव नही है। तथा पूर्व पटटे एवं वर्तमान पटटे की सीमाऐ एवं माप भी समान है यदि तीन फीट गली की भूमि का पटटा जारी किया होता तो वर्तमान पटटे की माप तीन फिट बढी हुई होती किन्तु ऐसा नही है। इसके अतिरिक्त सिविल न्यायालय के निर्णय इत्यादि को रिकार्ड पर लेते हुए ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.7.2022 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:29:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर